वर्ष:5 **अठारहवां अंक** **जनवरी–जून**, 2017

अनुसूचित जाति वाणी

अर्ध-वार्षिक ई-पत्रिका

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली

अनुसूचित जाति वाणी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अर्ध–वार्षिक ई–पत्रिका

वर्ष:5 अठारहवां अंक जनवरी–जून, 2017

- मुख्य संरक्षक :

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- संरक्षक :

सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- मुख्य संपादक :

श्री एस.के. दुबे,
अवर सचिव (प्रशासन)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- संपादक :

श्री मांगे राम,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- समन्वयक :

श्री ए.पी. गौतम,
अनुसंधान अधिकारी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

श्री ऑस्टिन जोस टी,
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अपने लेख एवं सुझाव भेजें :
संपादक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वाणी,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
कमरा नं. 314 ए–1, तृतीय तल,
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली–110003

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. मुख्य संरक्षक का संदेश	
2. संपादकीय	5
3. महापुरुषों के अनमोल वचन	6
4. अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं – एक नज़र में	7–12
5. अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण	13–16
6. सफल मामले	17
7. लेख : परिवार	18
8. आयोग में हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह	19–20
9. विशेष लेख : हिंदी भाषा ही नहीं संस्कार भी है	21–22
10. सुमित्रानंदन पंत की कविताएं	23–25
11. ठाकुर का कुआं – प्रेमचंद	26–28
12. सूचना का अधिकार अधिनियम	29

पांचवां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया और उपाध्यक्ष, श्री एल. मुरुगन तथा सदस्य डॉ. योगेन्द्र पासवान, श्री के. रामूलू एवं डॉ. (कु.) स्वराज विद्वान हैं ।

आयोग को अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 5 के अंतर्गत कार्य सौंपे गए हैं ।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
नई दिल्ली

मुख्य संरक्षक का संदेश

मुझे इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी गृह पत्रिका 'अनुसूचित जाति वाणी' ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर रहा है ।

आशा है कि यह पत्रिका अनुसूचित जाति के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी । अनुसूचित जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है । अनुसूचित जाति के विकास के बिना देश का सामाजिक विकास संभव नहीं है । यह आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास से जुड़े सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रयासरत है ।

आयोग के सभी कार्मिकों को इस पत्रिका के सफल प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

प्रो.(डॉ.) राम शंकर कठेरिया

संपादकीय

अनुसूचित जातियों की समस्याएं नई नहीं हैं, जब-जब इन पर बहसें हुईं केवल कागज़ी हल ही निकाले गए । समाधान नहीं हुआ । इस समुदाय की समस्या अपने आप में एक चुनौती है । संविधान में दलितों के लिए जो सुरक्षण दिए गए हैं उनसे क्या हासिल हुआ । क्या ये समस्याएं समाप्त हो गई हैं । अनुसूचित जातियों की कुछ राजनीतिक पहचान हो गई लेकिन समस्याएं बरकरार हैं । इनकी सामाजिक हैसियत नहीं हैं । इन्हें कोई सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अगर थोड़े-बहुत हैं तो इन्हें उनसे वंचित रखा गया है । आज भी उन्हें कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता है । दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता । इस समुदाय का सामाजिक उत्पीड़न तो आम बात है । छोटी-छोटी बातों को लेकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का इस कदर उत्पीड़न किया जाता है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता । हालांकि, इसकी रोकथाम के लिए कानून भी बनाए गए हैं लेकिन दबंग वर्ग कानून से कहां डरता है । प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक रूप में विद्यमान हैं और दबंग समुदाय बहुसंख्या में है । वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिससे पीड़ित वर्ग का हित हो । जाति प्रथा एक क्रूर सामाजिक प्रणाली है जिसके कारण अनुसूचित जाति का सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है । विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों ने भी यही व्यवस्था कायम की है, वहां भी जातिगत भेदभाव है । दरअसल, सामाजिक व्यवस्थापन के अंतर्गत अन्य बातों के शोषण, दमन, दासता कायम रखने की भावना रही है ।

भारत के संविधान में अनुसूचित जाति के विकास के लिए सुरक्षण हैं इसके बावजूद इनका अनुपालन नहीं हो रहा है । सरकारों द्वारा कई उपाय किए गए । आर्थिक स्थिति भी उत्पीड़न का एक कारण है । अनुसूचित जाति की कुछ जनसंख्या जमींदारों के यहां खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करती है । कुछ लोग मजदूरी करके बदले में अनाज या केवल भोजन ही ग्रहण करते हैं इसलिए वे अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा सकते । यदि ऐसा करते हैं तो उनके लिए सब कुछ बंद कर दिया जाता है । विधान मंडलों में उनके प्रतिनिधि भी हैं लेकिन वे बहुसंख्यक नहीं हैं, इसलिए वे असमर्थ हैं ।

महापुरुषों के अनमोल वचन

- जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं ।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर

- जिस तरह हर एक व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता उसी प्रकार उसे यह भी मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे पर शासन नहीं कर सकता ।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर

- क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने की बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है ।

– प्रेमचंद

- क्या हम यह नहीं जानते कि आत्म-सम्मान आत्म-निर्भरता के साथ आता है ।

– अब्दुल कलाम

- ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां धन तो है लेकिन सम्मान नहीं ।

– विनोबा भावे

- शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का ।

– अब्दुल कलाम

- आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए ।

– वल्लभभाई पटेल

- केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है, स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है ।

– सर्वपल्ली राधाकृष्णन

- शक्ति के अभाव में विश्वास किसी काम का नहीं, विश्वास और शक्ति, दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं ।

– वल्लभभाई पटेल

* * *

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं – एक नज़र में

(डिस्कलेमर : निम्नलिखित विवरण विभिन्न समाचार–पत्रों (Press Clipping) **के हैं । इनमें प्रयुक्त शब्द संबंधित समाचार–पत्रों के ही हैं ।**

1. चिकमंगलुरु (कर्नाटक) में अनुसूचित जाति परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई । इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है ।
   बीड (महाराष्ट्र) में करीब तीस लोगों के ग्रुप ने 2 अनुसूचित जाति के लड़कों की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनकी बाइक पर अंबेडकर की फोटो लगी थी । दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया ।

   नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 23-07-2016

2. मुजफ्फरपुर (बिहार) में दो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बुरी तरह पिटाई की गई । मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है ।

   राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 24-07-2016

3. केसरी सिंहपुर(बीकानेर) गांव 49 जीजी में अनुसूचित जाति की मां-बेटी का अपहरण कर व कार में मारपीट कर रास्ते में फेंक दिया । एक भूखंड को लेकर इस घटना का मामला दर्ज किया गया है ।

   राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 23-07-2016

4. गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के उना तालुका में दलित युवकों की बर्बर पिटाई का वीडियो प्रकाश में आने की घटना को लेकर राजकोट जिले के गोडल में पांच दलित युवकों ने घटना के विरोध में सामूहिक रूप से जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया ।

   राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 19-07-2016

5. रोहतक (हरियाणा) अनुसूचित जाति की पढ़ने वाली युवती ने आरोप लगाया कि 13 जुलाई को उसका कॉलेज के बाहर से अपहरण कर लिया गया और फिर पांच युवकों ने रेप किया । आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। छात्रा रोहतक पीजीआई में भर्ती है ।

   एनबीटी न्यूज, रोहतक

6. सीहोर (मध्य प्रदेश) में 50 अनुसूचित जाति परिवारों ने इच्छा मृत्यु के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति मांगी है । उनका आरोप है कि 15 साल पहले उन्हें सरकार द्वारा आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है ।

   राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 25-07-2016

7. एटा में रात को अनुसूचित जाति बताने पर प्रसूता को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं दिया गया । इसके कारण नवजात बच्ची की मृत्यु हो गई और प्रसूता की हालत बिगड़ गई । यह आरोप एम्बुलेंस 108 सेवा पर लग रहा है जिसे बुलाने पर चालक ने मोहल्ले का नाम व जाति पूछी और वह गाड़ी लेकर नहीं पहुंचा । प्रसूता ने घर पर ही बच्चों को जन्म दिया लेकिन चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने पर नवजात की मौत हो गई ।

अमर उजाला, नई दिल्ली 08-08-2016

8. सम्भल जिले में अनुसूचित जाति लड़की को आश्रम के नल से पानी पीने से रोका गया और विरोध करने पर उसके पिता को त्रिशूल से घायल कर दिया । मामले की जांच शुरू की गई है ।

राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 08-08-2016

9. हापुड़ में परिजनों के साथ घर के बाहर सो रही पांच साल की अनुसूचित जाति की बच्ची को रात में अगवा कर रेप किया । बच्ची गांव के पास लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ी मिली । उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

अमर उजाला, नई दिल्ली 07-08-2016

10. मैनपुरी जिले के गांव लखनीपुर में एक दुकानदार ने उधार के केवल 15/- रुपए नहीं मिलने पर अनुसूचित जाति की दम्पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी । पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की ।

अमर उजाला, नई दिल्ली 29-07-2016

11. ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने अनुसूचित जाति व्यापारी की पिटाई कर दी । पीड़ित को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया । मामले की जांच की जा रही है ।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली 02-08-2016

12. दरभंगा (बिहार) में डायन बताकर अनुसूचित जाति महिला पर दबंगों ने जुल्म किया । पीड़िता ने गांव के कुछ लोगों पर कपड़े उतार कर पीटने व पेशाब पिलाने का आरोप लगाया है । मायके में रह रही पीड़िता ने मां के साथ थाने में आकर पुलिस को आवेदन दिया और सुरक्षा की गुहार लगाई । शिकायत दर्ज की गई ।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली 31-07-2016

13. मुरैना (मध्य प्रदेश) में दबंगों ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को श्मशान में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया ।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली 11-08-2016

14. बिहार में बख्तियारपुर में मंदिर में पूजा करने गए एक महादलित युवक को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया । विरोध करने पर युवक को पीटा गया । मामले में दस लोगों को नामजद किया गया है ।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली 15-08-2016

15. चकरपुर गांव (गुड़गांव) में अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है । उनका कहना है कि आरोपी पक्ष इनके घरों में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं ।

दैनिक ट्रिब्यून, गुड़गांव 18-08-2016

16. नूंह (मेवात) में अनुसूचित जाति के लोगों को सरपंच के पक्ष में मतदान न करने पर सरपंच द्वारा पीने के पानी के बोर बंद कर दिए गए व उनके साथ आए दिन मारपीट व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की ।

दैनिक ट्रिब्यून, गुड़गांव 20-08-2016

17. मेवात में नीमखेड़ा गांव में एक अनुसूचित जाति के परिवार की बेटी को बहुसंख्यक समाज के लोग उठाकर ले गए । पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को की लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की ।

दैनिक ट्रिब्यून, गुड़गांव 22-08-2016

18. मेवात में एक अनुसूचित जाति की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया । आरोपियों ने न केवल लड़की के साथ मुंह काला किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया । दरिंदों ने पीड़िता के वीडियो को अन्य लोगों को भेजने का डर व जान से मारने की धमकी दी । लेकिन जब छह महीने बीत जाने के बाद पीड़िता के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि लड़की के पेट में बच्चा है तब लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई । इस घटना से क्षेत्र में रोष है ।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली 04-09-2016

19. मानसा (पंजाब) में शराब तस्करों के एक प्रतिद्वंद्वी गुट ने 20 वर्षीय एक अनुसूचित जाति के युवक की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी और उसके पैर काट दिए ।

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली 13-10-2016

20. फरीदाबाद - गांव रामपुर कलां के अनुसूचित जाति के किसानों की गांव गढ़ी बेगमपुर में जमीन है वे अपने खेतों पर जब ट्यूबवेल लगाने के लिए बोरिंग कर रहे थे तो कुछ दबंगों ने वहां पर हवाई गोलियां चलाईं और हथियार दिखाकर उन्हें भगा दिया और जमीन को कब्जाने के लिए भविष्य में खेतों पर न आने की धमकी दी । इस घटना पर पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत की ।

दैनिक ट्रिब्यून, गुड़गांव 11-10-2016

21. गोरखपुर में चुनावी रंजिश को लेकर बसंत टोला स्थित पाइप फैक्टरी में रात को सो रहे दो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऊपर पेट्रोल डाल कर जिंदा जला दिया गया । एक की मौत हो गई । दूसरे की हालत चिंताजनक है ।

राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 13-10-2016

22. फरीदाबाद में पकौड़े के मोलभाव करते समय रेहड़ी मालिक ने अनुसूचित जाति युवक को जातिसूचक गालियां देते हुए अपमानित किया और उसके साथियों ने हाथापाई शुरू कर दी । जब उसका बेटा बचाने आया तो रेहड़ी मालिक ने उस पर खौलते तेल की कड़ाही उड़ेल दी । बेटा गंभीर रूप से जल गया ।

अमर उजाला, नई दिल्ली 26-10-2016

23. कौशाम्बी में प्राथमिक स्कूल भैरवा में एक अनुसूचित जाति के छात्र से टॉयलेट साफ करवाया गया । आरोप स्कूल के प्रिंसिपल पर है ।

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 05-11-2016

24. देहरादून में एक प्राथमिक स्कूल के अध्यापक ने एक दलित की इसलिए हत्या कर दी कि वह उसकी चक्की पर आटा पिसवाने गया था ।

नवभारत टाइम्स, 12-10-2016

25. गोरखपुर में रात सो रहे दो दलित युवकों पर पेट्रोल डाल कर जिंदा जला दिया गया जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए । एक की अस्पताल में मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है ।

राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 13-10-2016

26. अहमदाबाद : छुआछूत और जातिवादी उत्पीड़न से तंग आकर गुजरात के 212 दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है । अहमदाबाद सहित तीन जगहों पर यह धर्म परिवर्तन किया गया । महाराष्ट्र के नागपुर में भी 90 दलितों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया है ।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली 13-10-2016

27. हरियाणा के भिवानी में ऊंची जाति के लोगों ने एक बुजुर्ग दलित महिला की पहले डंडों से पिटाई की उसके बाद उसे जीप से कुचल कर मार दिया गया ।

नवभारत टाइम्स, 22-12-2016

28. वैशाली जिले में 10वीं की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी । उसका शव छात्रावास के गेट के निकट बरामद किया गया । पुलिस छानबीन कर रही है ।

राष्ट्रीय सहारा, 09-01-2017

29. मैनपुरी में गांव नगला ताल में बसपा को वोट डालने पर एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी ।

अमर उजाला, नई दिल्ली, 20-02-2017

30. तंजावुर में लिफ्ट देने के बहाने एक 27 वर्षीय दलित महिला से बलात्कार किया गया । मामले में एक 20 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ।

राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली 21-02-2017

31. दादरी में क्लास में पड़ा कचरा उठाने से इन्कार करने पर एक स्कूल के संचालक ने दलित छात्र की पिटाई कर दी । पिटाई से छात्र के कान से खून बहने लगा । छात्र के परिजनों ने संचालक के खिलाफ शिकायत की है ।

अमर उजाला, नई दिल्ली 05-03-2017

32. कोल्हापुर प्रख्यात अंबेडकरवादी विचारक डॉ. कृष्णा किरवले की उनके घर में जघन्य हत्या कर दी गई । पुलिस के मुताबिक किरवले उनके आवास में मृत पाए गए । उनके शरीर पर चाकू के कई जख्म मिले हैं । हत्या के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है ।

अमर उजाला, नई दिल्ली 04-03-2017

33. मैनपुरी में दबंगों ने एक दलित परिवार का घर फूंक दिया । उसके परिवार को पीटा और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की । मामले में आरोपी के पिता को हिरासत में लिया गया है ।

अमर उजाला, 15-01-2017

34. गुरुग्राम के हेलीमंडी में अंबेडकर पार्क में लगी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अज्ञात बदमाशों ने गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया ।

दैनिक ट्रिब्यून, गुड़गांव 08-02-2017

35. जींद में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसे रिवाल्वर दिखा कर कुछ युवकों ने गैंगरेप किया । इस मामले में एक महिला समेत दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है ।

दैनिक ट्रिब्यून, गुड़गांव 09-02-2017

36. आगरा में एक दलित युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई । अफवाह यह फैली कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे पीट-पीट कर मारा डाला । इलाके में आगजनी और तोड़-फोड़ हुई जिसके चलते पुलिस बल तैनात किया गया ।

अमर उजाला, नई दिल्ली 14-02-2017

"मैंने एक बार अस्पृश्यता के प्रश्न पर गांधी जी से चर्चा करते हुए उनसे कहा था कि अस्पृश्यता के सवाल पर भले ही मेरे साथ आपके मतभेद हों, जब समय आएगा तो मैं देश को कम से कम क्षति पहुंचाने वाला मार्ग स्वीकार करूंगा । आज बौद्ध धर्म स्वीकार करके मैं देश का अधिक से अधिक हित साधन कर रहा हूं । कारण यह है कि बौद्ध धर्म संस्कृति का भी एक भाग है । इस देश की संस्कृति, इतिहास तथा परंपरा को कोई आघात न लगे, यह सावधानी मैंने बरती है ।"

– डॉ. अंबेडकर

अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध और सुरक्षण शामिल किए गए हैं । इन सुरक्षणों की व्यवस्था इन समुदायों के लोगों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और राज्य के अधीन सेवाओं के क्षेत्रों में है । अनुसूचित जातियों की कौन सी जातियां शामिल हैं और इन जातियों को किस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 366(24) और 341 में शामिल किया गया है ।

अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षण

सामाजिक सुरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 17, 23, 24 और 25(2) (ख) में राज्य को अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक सुरक्षणों की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है । अनुच्छेद 17 का संबंध समाज में चल रही अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन से है । संसद ने अनुसूचित जातियों के साथ बरती जा रही अस्पृश्यता की समस्या के समाधान के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किए ।

अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और 'बेगार' तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । यद्यपि इस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का अलग से कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु बहुसंख्यक बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के होते हैं इसलिए, इस अनुच्छेद का अनुसूचित जाति के लिए विशेष महत्व है । इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद द्वारा बंधक मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाया गया है । इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए संसद द्वारा बंधक मजूदर प्रथा (उन्मूलन अधिनियम), 1976 अधिनियमित किया गया है ।

अनुच्छेद 24 में उपबंध है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा । इस अनुच्छेद में भी अनुसूचित जातियों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है परन्तु खतरनाक नियोजन में लगे हुए बाल श्रमिक का अधिकांश भाग अनुसूचित जातियों से संबंधित है ।

अनुच्छेद 25(2) (ख) में उपबंध है कि सार्वजनिक प्रकार की सभी हिंदू धार्मिक संस्थाएं, हिंदुओं के सभी वर्गों और भागों के लिए खुली रहेंगी । इस उपबंध के लिए हिंदू शब्द में सिक्ख, जैन तथा बौद्ध धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों का समावेश किया गया है ।

आर्थिक सुरक्षण

अनुच्छेद 23,24 और 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आर्थिक सुरक्षणों का भाग बनाते हैं । अनुच्छेद 23 और 24 के उपबंधों पर पूर्व के पैराग्राफों में पहले ही विचार किया जा चुका है ।

अनुच्छेद 46 में व्यवस्था है कि "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानीपूर्वक अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।"

शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षण

अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति देता है । यह उपबंध सामान्यतः शैक्षिक संस्थाओं में और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए राज्य को अधिकार देता है ।

राजनीतिक सुरक्षण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय निकायों, राज्य की विधानसभाओं और संसद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण भारत के संविधान में निम्नानुसार दिया गया है:-

अनुच्छेद 243 **घ स्थानों का आरक्षण –** (1) प्रत्येक पंचायत में – (क) अनुसूचित जातियों; और (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आराक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

243 **न स्थानों का आरक्षण –** (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करें ।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण – (1) लोक सभा में

(क) अनुसूचित जातियों के लिए ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है ।

(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोकसभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

स्पष्टीकरण:– इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, 'जनसंख्या' पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण – (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य या विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात् न रहना – इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी:-

(क) लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी और

(ख) लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी, इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से 60 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

सेवा संबंधी सुरक्षण

सेवा संबंधी सुरक्षणों की व्यवस्था अनुच्छेद 16(4), 16(4क) और 335 में की गई है । वर्ष 2001 में, संसद ने संविधान (पिचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 के जरिए अनुच्छेद 16(4क) के उपबंधों में संशोधन किया । अनुच्छेद 16(4क) में "किसी श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में" शब्दों के स्थान में "किसी श्रेणी में, पारिणामिक वरिष्ठता के साथ, पदोनति के मामलों में" शब्द रख दिए गए हैं । इस संशोधन का परिणाम यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति, आरक्षण नीति के आधार पर सामान्य श्रेणी के अपने समकक्ष व्यक्ति से पहले कर दी गई हो, पदोन्नत वेतनमान/पद पर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति से वरिष्ठ होगा ।

स्रोत : इंटरनेट

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सफल मामले

– श्री पी.एस. मेहता

1. आवेदक सुश्री ग्रंथना मंडल ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और बताया कि उसने 01-11-2015 को आयोजित केवीपीवाई, 2015 पास किया परन्तु दिनांक 16-02-2016 से 29-02-2016 तक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के दौरान बेंगलूरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में दिनांक 21-02-2016 को साक्षात्कार हुआ । उसने साक्षात्कार का स्थान बेंगलूरु से कोलकाता में किए जाने का अनुरोध किया ताकि वह उपस्थित हो सके । आयोग के हस्तक्षेप के उपरांत भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु ने सूचित किया कि आवेदक के साक्षात्कार के लिए कोलकाता के स्थान में परिवर्तन पर विचार किया गया और वह दिनांक 11-02-2016 को आईएसआई कोलकाता स्थित साक्षात्कार में उपस्थित हुई ।

2. श्रीमती अनीता पत्नी श्री राकेश, गांव पवाता, डाकखाना पाली, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और बताया कि उसके ससुर को 100 गज का एक प्लॉट आबंटित किया गया था परंतु आज तक उन्हें कब्ज़ा नहीं दिया गया है । आयोग के हस्तक्षेप के उपरांत उपायुक्त, फरीदाबाद ने बताया कि आवेदक को 100 गज भूमि प्रदान कर दी गई है ।

3. श्री नवनीत कुमार पुत्र श्री दयाराम निवासी गांव व डाकखाना बरारी, जिला मथुरा उत्तर प्रदेश ने अंतिम वर्ष में जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा में बी.टेक की छात्रवृत्ति की अदायगी के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी ने छात्रवृत्ति के 6,600/- रुपए तथा ट्यूशन फीस के 27,400/- रुपए की राशि प्रदान कर दी है ।

******

लेख:

परिवार

परिवार के बिना समाज का कोई महत्व नहीं है । विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें परिवार न हो । परिवार समाज का आधार है । जैसे परिवार होंगे वैसा ही समाज कहलाएगा । एक परिवार में दादा-दादी, माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र या पुत्री होते हैं जिनका आपस में गहरा स्नेह होता है । परिवार ही सभी सदस्यों को प्रेम सूत्र में बांधे रखता है । माता-पिता बच्चों के लिए बहुत कष्ट झेलते हैं । वास्तविकता यह है कि परिवार व्यक्ति की पहली पाठशाला है जिसमें एक-दूसरे के लिए जीने की प्रेरणा मिलती है । परिवार में एक या अधिक सदस्य अवश्य होते हैं जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न होते हैं और उसी आय से परिवार चलता है । यही नहीं परिवार के अलावा समाज को भी लाभ होता है । उनके व्यवसाय से दूसरों की जरूरतें पूरी होती हैं । जैसे किसान अनाज पैदा करता है और वह अनाज पूरे समाज के लिए काम आता है । इस प्रकार परिवार सामाजिक भागीदारी ही निश्चित करता है । इसी प्रकार, समाज के दूसरे परिवार के लोगों के कार्यों से अन्य परिवार को फायदा पहुंचता है । इससे समाज में उन्नति के लिए अधिक सक्रियता बढ़ जाती है । इस भावना का असर बच्चों पर भी पड़ता है । वे अपने माता-पिता की तरह समाज और देश से प्रेम करना सीखते हैं । इस प्रकार, बेहतर नागरिक बनने की शिक्षा परिवार से ही मिलती है ।

आज छोटे परिवारों का प्रचलन है । अब से पहले संयुक्त परिवार होते थे जिनमें एक ही चूल्हा जलता था । परिवार की कुल सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यों की साझा सम्पत्ति मानी जाती थी । सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति पूरे परिवार पर नियंत्रण रखता था जिसे परिवार का मुखिया कहते थे । आज हम एक नई तरह की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में जी रहे हैं । इसी व्यवस्था ने एक नए परिवार को जन्म दिया जिसे एकल परिवार कहते हैं । जिसमें सिर्फ माता-पिता और अविवाहित संतान आती है । संयुक्त परिवार टूटने के कई कारण थे । परिवार के सदस्य अलग-अलग कार्यों में लगने के कारण और अलग-अलग शहरों में रहने के कारण उनका साथ रहना संभव नहीं था और एक ही परिवार बनाए रखना असंभव हो गया । वे अपनी आय के अनुसार अपने बीवी-बच्चों का पालन-पोषण अलग-अलग करते थे । इससे पुराना सामाजिक ढांचा टूटता चला गया और एकल परिवार का रूप लेने लग गया । एकल परिवार में प्रत्येक सदस्य के बीच स्वतंत्रता और समानता का संबंध होने लगा । स्त्रियां भी परिवार के जीवन निर्वाह में योगदान देने लगीं और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हुईं । इस तरह पति-पत्नी ने घर और बाहर के कार्यों में तमाम भागीदारी सुनिश्चित की । एकल परिवार के साथ-साथ नए विचारों से सामाजिक कुप्रथाएं जैसे कि बाल-विवाह, सती प्रथा, आदि पर रोक लगी । पहले स्त्री को जीवन भर एक पुरुष से बंधा रहना पड़ता था चाहे उसका पति कितना ही निर्दय क्यों न हो । लेकिन नई सामाजिक व्यवस्था ने स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद का अधिकार दिया ।

....

हिंदी पखवाड़ा

आयोग में हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दिनांक 01/09/2016 **से** 15/09/2016 **तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिभागिता उत्साहवर्धक रही ।**

दिनांक 28/10/2016 **को आयोग के सचिव महोदय ने निम्नलिखित पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए । इस अवसर पर कुछ विजेता प्रतिभागियों ने अपनी–अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया जिसे उपस्थित अधिकारीगण द्वारा सराहा गया :**

हिंदी निबंध प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम**	**परिणाम**	**राशि**
	श्री संजय कुमार, स.सू.पुस्तकालय अध्यक्ष	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री जयनारायण मीणा, आशुलिपिक	तृतीय	1,000/- रुपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर वर्ग)	श्री खेमकरण, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री सुभाष चंद शर्मा, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री राम लाल, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रुपए

मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन व्यावहारिक प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम**	**परिणाम**	**राशि**
	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री आर.आर. वर्मा, ए.एस.ओ.	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री अनिल प्रकाश गौतम, अनुसंधान अधिकारी	तृतीय	1,000/- रुपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर वर्ग)	श्री सुभाष चंद शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री जगदीश कुमार, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रुपए

राजभाषा ज्ञान/ सामान्य हिंदी प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	परिणाम	राशि
	श्री आर.आर. वर्मा, ए.एस.ओ.	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री अनिल प्रकाश गौतम, अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री दिलीप कुमार गुप्ता, अनुभाग अधिकारी	तृतीय	1,000/- रुपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर वर्ग)	श्री सुभाष चंद शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री जगदीश कुमार, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रुपए

हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	परिणाम	राशि
	श्री आर.आर. वर्मा, ए.एस.ओ.	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री संजय कुमार, स.सू.पुस्तकालय अध्यक्ष	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री संदीप कुमार, आशुलिपिक	तृतीय	1,000/- रुपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर वर्ग)	श्री सुभाष चंद शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री जगदीश कुमार, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रुपए

हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	परिणाम	राशि
	श्री भरत राज, ए.एस.ओ.	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्रीमती शीला गुप्ता, निजी सहायक	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	तृतीय	1,000/- रुपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर वर्ग)	श्री महेंद्र कुमार, स्टाफ कार चालक	प्रथम	1,500/- रुपए
	श्री जगदीश कुमार, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रुपए
	श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रुपए

* * * * *

पिछले अंक (अप्रैल–जून, 2016) में पहेलियों के उत्तर :

1. लाल मिर्च
2. आंगन
3. चांद
4. गोलगप्पे की दुकान
5. ज्ञान
6. स्वेटर की बुनाई
7. आसमान में तारे
8. जूता

विशेष लेख

हिंदी, भाषा ही नहीं संस्कार भी है

संजय कुमार

हमारा भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है जहां विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति तथा भाषा के लोग रहते हैं । चूंकि, देश में अलग-अलग राज्यों में अपने विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए तथा विभिन्न रीति-रिवाज को एक-दूसरे के साथ सर्व धर्म संप्रदाय के साथ मिल-जुलकर अपनी भाषा के अनुरूप संस्कार दिए जाते हैं ।

चूंकि, हमारे देश में अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं तथा लिखी जाती हैं और हमारे संस्कार भी उसी रूप में होते हैं परंतु इन विभिन्न भाषाओं के कारण तथा पूरे देश में एक ऐसी भाषा जो कि सभी लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा अपनाई जाती है वह हिंदी ही है ।

कोई भी व्यक्ति पैदा होने से पूर्व न ही उसे किसी भाषा की जानकारी होती है न ही उसे किसी तरह का संस्कार दिया जाता है । व्यक्ति के पैदा होने पर उसे अपने माता-पिता के द्वारा सर्वप्रथम जो प्यार उसके पालन-पोषण के समय मिलता है उसे ही उसका संस्कार कहा जा सकता है तथा वही उस मनुष्य की भाषा होती है, जो वह शुरू से समझने की कोशिश करते हुए धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है । हमारे देश में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि देश के ज्यादातर लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जिसे देखते हुए महात्मा गांधी ने 1915 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने पर जोर दिया किंतु देश स्वतंत्र होने के बाद न ही गांधी जी रहे न ही हिंदी का महत्व ।

हमारा देश 'वसुधैव कटुम्बकम्' के सिद्धांत पर चलता है तथा आज के वैज्ञानिक युग में प्रौद्योगिकी के विशेष रूप से प्रयोग में आने के कारण हम दूसरे देशों से भी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं । यहां यह विदित करना आवश्यक है कि सभी देशों की अपनी अलग-अलग भाषाएं होने के कारण उनके रीति-रिवाज, संस्कार भी अलग-अलग हैं ।

हमारा देश ऋषि-मुनियों वाला देश शुरू से ही रहा है । हमारे देश में ऋग्वेद काल से ही यहां पर एक अच्छे संस्कार रहे हैं । हिंदी तथा संस्कृत के द्वारा ही श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया जो कि पूरे विश्व के लोग मानते हैं । ये भी हमारी भाषा हिंदी का ही संस्कार है कि यहां का 'योग' पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत वर्ष के अनुरोध पर अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाए जाने की शुरुआत की है ।

हिंदी को और भी ज्यादा व्यावहारिक बनाने के लिए तथा इसे और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा है । राजा राममोहन राय के अनुसार हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपनी अभिव्यक्ति तथा अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं ।

दूसरे शब्दों में यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे अंग्रेज़ी भाषा के संस्कार हमें एक-दूसरे के साथ परस्पर तालमेल अपनाने में उतना मदद नहीं कर रहे हैं जितना कि हिंदी भाषा उदाहरण के लिए आज के अंग्रेजी युग के कारण लोगों में एक-दूसरे के प्रति, छोटे-बड़े के प्रति वह आदर भाव नहीं है जो कि पहले देखने को मिलता था । आज के युग में हिंदी का प्रयोग धीरे-धीरे कम होता जा रहा है तथा लोग हिंदी बोलने में, लिखने में अपनी तौहीन समझ रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति किसी मंच पर खड़े होकर कोई भाषण हिंदी में देता है तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं । जबकि लोग उसकी विद्वत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं और आज यदि लोग अंग्रेज़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे समाज में ज्यादा मान-सम्मान मिल रहा है । अत: आज के जो हमारे संस्कार हमें अंग्रेज़ी भाषा से मिल रहे हैं उसके कारण समाज में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिल रहे हैं-

1. लोगों का सुबह उठने का तथा रात को सोने का समय बदल गया है ।
2. अंग्रेजी भाषा के संस्कार के कारण लोगों के कपड़े तंग तथा छोटे होते जा रहे हैं ।
3. समाज में भाई-चारा खत्म होता जा रहा है ।
4. अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ।
5. बलात्कार का कारण भी अंग्रेजी मानसिकता है ।
6. नई-नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ।

अत: आज जरूरत है कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार किया जाए क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जो हमें आगे विकास के पथ पर ले जा सकती है चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या कोई अन्य । यदि जरूरत है तो केवल तन-मन से जुड़ने की । उदाहरण के रूप में हमारे देश में श्री श्री रविशंकर जी ने इसी वर्ष अपने हिंदी भाषा के दम पर ही लगभग 50 देशों के विशेष लोगों को दिल्ली बुलाकर एक अच्छे संस्कार की शुरुआत की थी जिसमें उन्हें पूरे विश्व में शांति दूत कहा जा रहा है ।

बाबा रामदेव ने हिंदी भाषा के बल पर पूरे विश्व में योग की स्थापना कर एक अच्छे संस्कार की शुरुआत की है । अत: यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी हिंदी भाषा एक भाषा तथा संस्कार भी है ।

* * * * *

साहित्य

सुमित्रानंदन पंत की तीन कविताएं

1. "दो लड़के"

मेरे आंगन में, (टीले पर है मेरा घर)
दो छोटे-से लड़के आ जाते हैं अक्सर ।
नंगे तन, गदबदे साँवले, सहज छबीले,
मिट्टी के मटमैले पुतले - पर फुर्तीले ।

जल्दी से टीले के नीचे उधर उतरकर,
वे चुन ले जाते कूड़े से निधियां सुंदर –
सिगरेट के खाली डिब्बे, पन्नी चमकीली,
फीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली-पीली,

मासिक पत्रों के कवरों की, औ बंदर-से
किलकारी भरते हैं, खुश हो-हो अंदर से ।
दौड़ पार आंगन के फिर हो जाते ओझल
वे नाटे छः-सात साल के लड़के मांसल ।

सुंदर लगती नग्न देह, मोहती नयन-मन
मानव के नाते उर में भरता अपनापन
मानव के बालक हैं ये पासी के बच्चे
रोम-रोम मानव, सांचे में ढाले सच्चे ।

अस्थि मांस के इन जीवों का ही यह जग घर,
आत्मा का अधिवास न यह-वह सूक्ष्म अनश्वर
न्योछावर है आत्मा नश्वर रक्तमांस पर
जग का अधिकारी है वह, जो है दुर्बलतर ।

वह्नि बाढ़, उल्का, झंझा की भीषण भू पर
कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर
निष्ठुर है जड़ प्रकृति, सहज भंगुर जीवित जन
मानव को चाहिए यहां मनुजोचित साधन ।

क्यों न एक हों मानव-मानव सभी परस्पर
मानवता निर्माण करें जग में लोकोत्तर ।
जीवन का प्रासाद उठे भू पर गौरवमय,
मानव का साम्राज्य बने मानव हित निश्चय ।

जीवन की क्षण-धूलि रह सके जहां सुरक्षित
रक्त मांस की इच्छाएं जन की हों पूरित ।
मनुज प्रेम से जहां रह सकें - मानव ईश्वर ।
और कौन-सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर?

---

2. "वह बुड्ढा"

खड़ा द्वार पर लाठी टेके,
वह जीवन का बूढ़ा पंजर,
चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी
हिलते हड्डी के ढांचे पर ।
उभरी ढीली नसें जाल-सी
सूखी ठठरी से हैं लिपटी,
पतझर में ठूंठे तरु से ज्यों
सूनी अमरबेल हो चिपटी ।
उसका लंबा डील-डौल है,
हट्टी-कट्टी काठी चौड़ी
इस खंडहर में बिजली-सी
उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी ।
बैठी छाती की हड्डी अब
झुकी रीढ़ कमठा-सी टेढ़ी,
पिचका पेट गढ़ कंधों पर
फटी बिवाई से हैं एड़ी ।
बैठ, टेक धरती पर माथ,
वह सलाम करता है झुककर
उस धरती से पांव उठा लेने का
जी करता है क्षण-भर ।
घुटनों से मुड़ उसकी लंबी
टांगें जांघें सटी परस्पर
झुका बीच में शीश, झुर्रियों का
झांझर मुख निकला बाहर ।
हाथ जोड़, चौड़े पंजों की
गुंथी अंगुलियों को कर सम्मुख,
मौन त्रस्त चितवन से, कातर
वाणी से वह कहता निज दुख ।
गर्मी के दिन, धरे उपरनी सिर पर
लुंगी से ढांपे तन –
नंगी देह भरी बालों से -
वनमानुस-सा लगता वह जन ।
भूखा है, पैसे पा, कुछ गुनगुना
खड़ा हो, जाता वह घर,
पिछले पैरों के बल उठ
जैसे कोई चल रहा जानवर ।
काली नारकीय छाया निज
छोड़ गया वह मेरे भीतर,
पैशाचिक-सा कुछ, दुःखों से
मनुज गया शायद उसमें मर ।

---

3. "कौन बनाता है समाज"

कौन बनाता है समाज ?
इतिहास बनाता ?
उत्पादन के यंत्र,
वस्तु संपत्ति बनाती ?
तर्कबुद्धि, चिंतन,
विचार, आदर्श बनाते ?
रीति-नीति नियमों के
जड़ संबंध बनाते ?
दर्शन के सिद्धांत,
भावगत मूल्य बनाते ?
या आवश्यकता,
रक्षा का बोध बनाते ?
नहीं, समाज, नहीं बनता,
इन जड़ द्रव्यों से
ज्वार चेतना का उठता
जन भू जीवन में –
डुबा बाह्य उपलब्धि –
सभी देता जो जग की ।
नए सांस्कृतिक संबंधों में
बांध मनुज को
भू जीवन की रचना करता
नई दिशा में ।
महाभाव की स्वर संगति में
गूंथ विश्व को
एक नया आलोक
उतरता भू-आंगन पर ।
नए रक्त से हृदय शिराएं
होती झंकृत,
अंतर का उन्मेष
लांघ बाधा के पर्वत
नव समाज को देता जन्म –
डुबा स्वार्थों को ।
नई ज्योति लिखती
मानव के जीवन मन की
गाथा, अभिनव भावों के
इतिहास पृष्ठ पर ।

–0– –0– –0– –0–

ठाकुर का कुआं

–प्रेमचंद

जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई । गंगी से बोला – यह कैसा पानी है ? मारे बास के पिया नहीं जाता । गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाये देती है ।

गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी । कुआं दूर था, बार-बार जाना मुश्किल था । कल वह पानी लाई, तो उसमें बू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी ? लोटा नाक से लगाया, तो सचमुच बदबू थी, जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से ?

ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा । दूर से लोग डांट बताएंगे । साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा ? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं ।

जोखू कई दिन से बीमार है । कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला -- अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता । ला, थोड़ा पानी नाक बन्द करके पी लूं ।

गंगी ने पानी न दिया । खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी –इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है । बोली यह पानी कैसे पियोगे ? न जाने कौन जानवर मरा है । कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं ।

जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा – दूसरा पानी कहां से लाएगी ?

"ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं । क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे ?"

"हाथ-पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा । बैठ चुपके से । ब्राह्मण-देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जो एक के पांच लेंगे । गरीबों का दर्द कौन समझता है । हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दुआर पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है । ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे ?

इन शब्दों में कड़ुवा सत्य था । गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया ।

रात के नौ बजे थे । थके-मांदे मजदूर तो सो चुके थे, ठाकुर के दरवाजे पर दस-पांच बेफिक्रे जमा थे । मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा है, न मौका । कानूनी बहादुरी की बातें

हो रही थीं, कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए । कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए । नाजिर और मोहतमिम, सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती । कोई पचास मांगता, कोई सौ । यहां पैसे-कौड़ी नकल उड़ा दी । काम करने का ढंग चाहिए ।

इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची ।

कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी । गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी । इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है । किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते ।

गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा – हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊंच हैं ? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं ? यहां तो जितने हैं, एक-से-एक छंटे हैं ? चोरी ये करें, जाल-फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें । अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया । इन्हीं पंडित जी के घर में तो बारहों मास जुआ होता है । यही साहुजी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं । काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है । किस बात में हैं हमसे ऊंचे । हां, मुंह में हमसे ऊंचे हैं । हम गली-गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे । कभी गांव में आ जाती हूं, तो रसभरी आंखों से देखने लगते हैं । जैसे सब की छाती पर सांप लोटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं ।

कुएं पर किसी के आने की आहट हुई । गंगी की छाती धक-धक करने लगी । कहीं देख ले, तो गजब हो जाए । एक लात भी तो नीचे न पड़े । उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई । कब इन लोगों को दया आती है किसी पर । बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा । इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी । उस पर ये लोग ऊंचे बने हैं ।

कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थीं । इनमें बातें हो रही थीं ।

"खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ । घड़े के लिए पैसे नहीं हैं ।"

"हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मरदों को जलन होती है ।"

हां, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते । बस, हुकुम चला दिया कि ताजा नीर लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं ।"

"लौंडियां नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी-कपड़ा नहीं पातीं? दस-पांच रुपए छीन-झपट कर ले ही लेती हो । और लौंडियां कैसी होती हैं ।"

"मत लजाओ दीदी । छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है । इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती, तो इससे कहीं आराम से रहती । ऊपर से वह एहसान मानता । यहां काम करते-करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता ।"

दोनों पानी भरकर चली गईं, तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई । बेफिक्रे चले गए थे । ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे । गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली । किसी तरह मैदान तो साफ हुआ । अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ-बूझकर न गया होगा । गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी । विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था ।

उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला । दाएं-बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात में शत्रु के किले में सूराख कर रहा हो । अगर इस समय वह पकड़ ली गई, तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं । अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया ।

घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता । जरा भी आवाज न हुई । गंगी ने दो-चार हाथ जल्दी मारे । घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा । कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था ।

गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रक्खे, कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया । शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा ।

गंगी के हाथ से रस्सी छूट गयी । रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरें की आवाजें सुनाई देती रहीं ।

ठाकुर "कौन है, कौन है?" पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी ।

घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाये वही मैला-गंदा पानी पी रहा है ।

****

सूचना का अधिकार अधिनियम

निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दिनांक 24-01-2017 से केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है:-

क्र. सं.	**संगठन और उसमें अनुभाग/स्कंध का नाम**	**केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम**	**लिंक सीपीआईओ का नाम**
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली **अनुभाग : एसएसडब्ल्यू-।**	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी, एसएसडब्ल्यू-। दूरभाष: 011-24606815 फैक्स: 24624731	श्री डी.के. गुप्ता, अनुभाग अधिकारी, एसएसडब्ल्यू-।। दूरभाष: 011-24606820 फैक्स: 24624731
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली **अनुभाग : एसएसडब्ल्यू-।।**	श्री डी.के. गुप्ता, अनुभाग अधिकारी, एसएसडब्ल्यू-।। दूरभाष: 011-24606820 फैक्स: 24624731	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी, एसएसडब्ल्यू-। दूरभाष: 011-24606815 फैक्स: 24624731
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली **अनुभाग : ईएसडीडब्ल्यू**	श्री पी.एस. मेहता, अनुसंधान अधिकारी, ईएसडीडब्ल्यू दूरभाष: 011-24606813 फैक्स: 24624731	श्री मांगे राम, सहायक निदेशक (राजभाषा) दूरभाष: 011-24625993 फैक्स: 24624731
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली **डेस्क : एपीसीआर-।**	श्री ए.पी. गौतम, अनुसंधान अधिकारी, एपीसीआर-। दूरभाष: 011-24606812 फैक्स: 24624731	श्री पी.जी. भट, अनुभाग अधिकारी, एपीसीआर-।। दूरभाष: 011-24606812 फैक्स: 24624731
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली **डेस्क : एपीसीआर-।।**	श्री पी.जी. भट, अनुभाग अधिकारी, एपीसीआर-।। दूरभाष: 011-24606812 फैक्स: 24624731	श्री पी.एस. मेहता, अनुसंधान अधिकारी, ईएसडीडब्ल्यू दूरभाष: 011-24606813 फैक्स: 24624731
6.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली **अनुभाग : प्रशा. एवं सी.सैल**	श्री मांगे राम, सहायक निदेशक (राजभाषा) दूरभाष: 011-24625993 फैक्स: 24624731	श्री ए.पी. गौतम, अनुसंधान अधिकारी, एपीसीआर-। दूरभाष: 011-24606812 फैक्स: 24624731

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम: **श्री कन्हैया लाल, निदेशक,**
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग